न्यायालय—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू—अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 10 / 2018
जीसीएमएच:— 2018 / 00067

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. लच्छाराम पुत्र बाबरजी जाति रेबारी निवासी धमाणा तह—सांचौर जिला सांचौर राज.		1. काला पुत्र हुकमा। 2. अरजणा पुत्र हुकमा फौत के कायम मुकाम— अ.मेवा पुत्र अरजणा। ब. झीणी पत्नी अरजणा। 3.देरोपादेवी पत्नी हुकमाराम। 4. राणा पुत्र बावरा। 5. भबुता पुत्र हरजी। 6. आईदान पुत्र हरजी। 7. करमीड़ा पुत्र पीरा फौत के कायम मुकाम— अ. आईदान पुत्र करमीडा। 8. पुनमा पुत्र चेना। 9. देवा पुत्र चेना। 10.चनणीदेवी पत्नी चेना जातियान—रेबारी निवासीगण धमाणा तह—सांचौर जिला सांचौर राज. 11. तहसीलदार सांचौर। 12.व्यवस्थापक एस.बी.बी.जे.बैक (एस.बी.आई.) शॉखा सांचौर 13.व्यवस्थापक बैंक ऑफ बड़ौदा शॉखा सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:— 19.07.2018

उपस्थित:—
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया ।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1,2—अ,ब, 4,8,9,10, की ओर से नरेन्द्र चौधरी उपस्थित ।
3. अप्रार्थी संख्या 11 राज पैरोकार उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 3,5,6,7—अ,12 व 13 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक 10.07.2024

प्रार्थी मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर क्रमश: 113,1514,1515,1552,1553,1554,1555,1612,1615 कुल रकबा 6.71 हैक्टयर भूमि आई हुई है। जिस पर कब्जाकाश्त भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण का आया हुआ है। उक्त आराजी का प्रार्थी संयुक्त तौर से कदीमी से लगान अदा करते आ रहे है तथा गिरदावरी भी संयुक्त तौर से प्रार्थी के नाम तज्वीज होती आ रही है। उक्त आराजी में लिपिकीय भूल से प्रार्थी के नाम इन्द्राज [illegible] करते वक्त प्रार्थी लच्छाराम पुत्र बाबरा का नाम लिपिकीय भूल से सालु पुत्र बाबरा लिख दिया गया, [illegible] भूल से लिखा गया है। प्रार्थी लच्छाराम का कभी भी सालु नाम [illegible] नाम का प्रार्थी के कोई भाई या परिवार का सदस्य नही था प्रार्थी का वास्तविक नाम [illegible] है, जिसके समर्थन में मतदाता परिचय पत्र,राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड इत्यादि तमाम् दस्तावेजो [illegible] लच्छाराम दर्ज है। जिससे पूर्णतया साबित है। कि प्रार्थी का वास्तविक लच्छाराम है। [illegible] उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थी का लिपिकी भूल से दर्ज नाम सालु की जगह वास्तविक नाम लच्छाराम दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3,5,6,7–अ,12 व 13 सूचना बावजूद अनुपस्थित इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1,2–अ,ब, 4,8,9,10, की ओर से नरेन्द्र चौधरी ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में मौजा धमाणा के वर्णित खसरा नम्बर व राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लिपिकीय भूल से लच्छाराम की जगह सालु पुत्र बाबरा दर्ज कर दिया गया है जबकि वास्तविक नाम लच्छाराम हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती की जाती है तो हमें कोई आपत्ती नही है।

अप्रार्थी संख्या 11 राज पैराकार तहसीलदार सांचौर ने जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा धमाणा के खसरा नम्बर क्रमशः 113,1514,1515,1552,1553,1554,1555,1612,1615 कुल रकबा 6.71 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी आई हुई है। प्रार्थी का सही नाम पहचान दस्तावेजों अनुसार लच्छाराम पुत्र बाबरा होने से प्रार्थी लच्छाराम फौत हो जाने पर वारिशान दलाराम,मेघाराम पुत्र लच्छाराम उर्फ सालु के नाम नामान्तरकरण संख्या 1156 दिनांक 22.09.2022 को स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो चुका हैं अतः वर्तमान में वर्णित रेकर्ड दुरस्ती का कोई औचित्य नही होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमावे।

बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन–अवालेकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानो का अध्ययन किया गया। । अप्रर्थीगण के प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान परिचय पत्र , राशन कार्ड, एवं आधार कार्ड की प्रतिया प्रस्तुत की है अप्रार्थी संख्या 1,2–अ,ब, 4,8,9,10, प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी का नाम लच्छाराम दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारगर्भित एवं भली प्रकार साबित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सावित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील सांचौर के खसरा नम्बर क्रमशः 113,1514,1515,1552,1553,1554,1555,1612,1615 कुल रकबा 6.71 हैक्टयर भूमि में दर्ज सालु पुत्र बाबरा के स्थान पर लच्छाराम दर्ज किया जावे। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर नम्बर से एक कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उक्त आज दिनांक. 10.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर,सांचौर

Scanned with OKEN Scanner